पत्रांक : 8184 / उ.सू.आ. / 2012
दिनांक : 05.06.2012

प्रिय

आप विदित हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम अपने कियान्वयन के सातवें वर्ष में है. अधिनियम के लागू होने के समय से ही उत्तराखण्ड की गणना देश के ऐसे प्रदेशों में होती है जहां अधिनियम का कियान्वयन उच्च स्तर का है. किंतु प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत अधिनियम के प्रयोग से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य निरंतर प्रकाश में आ रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में जागरूकता का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अत्यधिक कम है. ग्रामीण क्षेत्रों में जनसामान्य को अधिनियम के संबंध में समुचित जानकारी की कमी के कारण उनके द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का प्रयोग सही प्रकार से नहीं किया जाता है जिस कारण उन्हें वांछित सूचना सुलभता से प्राप्त करने में कठिनाई भी होती है. अतः ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 26(1)(क) तथा 26(1)(ख) के अंतर्गत अधिनियम के संबंध में प्रचार प्रसार करने, शैक्षिक कार्यक्रमों को तैयार कर आयोजित करने तथा लोक प्राधिकारियों को ऐसे कार्यक्रमों को कियान्वित करने के लिए निर्देशित करने का दायित्व राज्य सरकार का है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में सक्रियतापूर्वक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है.

3. आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विकास खण्डों में की गयी विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान अधिनियम के प्रचार प्रसार के संबंध में ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों की दीवालों पर अधिनियम के उपयोग से संबंधित विशिष्ट जानकारी को लिखवाये जाने हेतु ूंसस चंपदजपदह करने का एक अच्छा सुझाव जनता एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त हुआ है. ऐसा ूंसस चंपदजपदह किये जाने से अत्यंत अल्प व्यय पर अधिक से अधिक ग्रामीण नागरिकों को अधिनियम के उपयोग की जानकारी सहजता से प्राप्त हो सकती है.

4. जन प्रतिनिधियों एवं जनसामान्य से प्राप्त उक्त सुझाव के कम में आयोग द्वारा ूंसस चंपदजपदह का एक आलेख्य तैयार किया गया है जिसे मैं इस आशय से संलग्न कर रहा हूं कि कृपया इसे पंचायती राज विभाग के माध्यम से प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों अथवा किसी मुख्य स्थान / भवन पर जनसामान्य के उपयोगार्थ लिखवाने के लिए अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें. इस कार्य को जिला पंचायत राज अधिकारियों तथा मुख्य विकास अधिकारियों के निर्देशन में तीन माह के समय में पूर्ण कराया जाना उचित होगा तथा इस कार्य में होने वाले व्यय को संबंधित प्रत्येक पंचायत द्वारा ही वहन किया जाना उचित है. प्रदेश स्तर से सचिव, पंचायती राज विभाग तथा निदेशक, पंचायती राज विभाग के द्वारा इसका प्रभावी अनुश्रवण कराना भी सुनिश्चित किया जाये. कृपया इस संबंध में शीघ्र निर्देश जारी कर उक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें. आपके स्तर से जारी निर्देशों से आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

संलग्न : यथोपरि.

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री आलोक कुमार जैन
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

प्रतिलिपि सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित.

संलग्न : यथोपरि.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

संलग्न : यथोपरि.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त